न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 40/2020

श्रीलाल उर्फ श्रीराम पुत्र नन्दलाल जाति कुम्हार निवासी बलवन्तखेड़ी तहसील मांगरोल
.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)
....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री लवकुल गौड़

दायरा दिनांकः 13.07.2020 निर्णय दिनांक : 2.11.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 104 खसरा नं0 285 रकबा 0.16 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बलवन्तखेड़ी तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम श्रीलाल पुत्र नन्दलाल के स्थान पर श्रीराम पुत्र नन्दलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम श्रीलाल उर्फ श्रीराम पुत्र नन्दलाल है। जिसको वादी श्रीराम पुत्र नन्दलाल के स्थान पर श्रीराम उर्फ श्रीलाल पुत्र नन्दलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों पहचान पत्र, आधार कार्ड में श्रीलाल पुत्र नन्दलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में श्रीराम पुत्र नन्दलाल के स्थान पर श्रीराम उर्फ श्रीलाल पुत्र नन्दलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम श्रीराम पुत्र नन्दलाल के स्थान श्रीराम उर्फ श्रीलाल पुत्र नन्दलाल दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2020/631 दिनांक 03.12.2020 के जिसके अनुसार श्रीराम पुत्र नन्दलाल जाति कुम्हार को श्रीलाल पुत्र नन्दलाल जाति कुम्हार के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति श्रीराम पुत्र नन्दलाल जाति कुम्हार व श्रीलाल पुत्र नन्दलाल जाति कुम्हार एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम श्रीराम पुत्र नन्दलाल के स्थान पर श्रीराम उर्फ श्रीलाल पुत्र नन्दलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व राधेश्याम पुत्र कान्हा जाति प्रजापति निवासी बलवन्तखेड़ी के आधार पर आराजी खाता संख्या 104 खसरा नं0 285 रकबा 0.16 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम बलवन्तखेड़ी तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम श्रीराम पुत्र नन्दलाल के स्थान पर श्रीराम उर्फ श्रीलाल पुत्र नन्दलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प जलोदा तेजाजी मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner